राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवश्यक दिशा–निर्देश

अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्र (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग) केवल **Minority Category** का ही फार्म भरेंगे।

छात्रवृत्ति आवेदन करने हेतु निम्नलिखित अर्हताएँ आवश्यक है :–

- अभ्यर्थी उ0प्र0 का मूल निवासी हो।
- अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य स्रोत से कोई भी छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता प्राप्त न हो रही हो।
- सामान्य वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, तथा अल्प संख्ययक वर्ग के अभ्यर्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रू0 2,00,000/– वार्षिक से अधिक न हो तथा इस सम्बंध में समक्ष अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र जांच स्वय इण्टरनेट पर करते हुए जांच प्रति अवश्य लगायें।
- यदि छात्र किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन कर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन फार्म भरना पड़ेगा उसकी आय प्रमाण की वैधता उस शैक्षणिक सत्र/वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।
- सभी वर्ग के छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं होगा उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
- जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिए।
- हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अपना नाम तथा अपने माता–पिता/पति का नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिए।
- विद्यार्थियों द्वारा भरे गये आधार नं0 विद्यार्थी का नाम, पिता/पति का नाम लिंग तथा जन्मतिथि का सत्यापन होने के प्रश्चात आधार नं0 से लिंक मोबाइल नंम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त आवेदन पत्र संबमिट किया जा सकेगा।
- हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में जन्मतिथि को आधार कार्ड में लिंक करा लेना चाहिए।
- आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसे शुद्ध करा लेना चाहिए।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा प्रमाण पत्र की जांच स्वय इण्टरनेट पर करते हुए जांच प्रति अवश्य लगाये।
- छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्रा सम्बंधित छात्रावास के प्रवोस्ट द्वारा जारी आवासीय प्रमाण पत्र मूल रूप में सलंग्न करे।
- बचत खाते की पास बुक की छायाप्रति।
- हाईस्कूल एवं इण्टर मीडिएट मार्कशीट की सर्च डिटेल लगाना अनिवार्य होगा।
- वर्तमान में एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, बी0एस0सी0 नर्सिंग, एवं पैरामेडिकल के छात्र अन्तिम प्रोफेशनल की उत्तीर्ण अंक पत्र की मार्कशीट अवश्य लगाये।
- छात्र द्वारा जमा शुल्क की छायाप्रति अवश्यक संलग्न करे।
- पिछले वर्ष मिली छात्रवृत्ति का नेट द्वारा निकाला गया विवरण।
- अभ्यर्थियो द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टर की अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

वेब साइट– https://scholarship.up.gov.in

Gayda 22/7/22   22/07/22

4607-8429-a1e7867bd161 blob:https://web.whatsapp...

नोटिस

सत्र 2022–23 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें–

1–छात्र क्या करें:–

- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र/जाति/आय प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी) बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गयी शुल्क की रसीद, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख होना आवश्यक है।
- हाई–स्कूल अंकपत्र प्रमाण–पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक।
- आधार नम्बर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) (आधार नम्बर, नाम व जन्म तिथि का मिलान) तथा आधार लिंक मोबाइल नम्बर प्राप्त ओ0टी0पी0 को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को आनलाइन टेम्पेरेरी लॉक कर सकेगा।
- आधार नं0 से लिंक बैंक खाता एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग अनिवार्य है। इस कार्य को सम्बन्धित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा की स्थिति में ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना रहेगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से जुड़े बैंक खाते में ही होगा।
- अपना आधार लिंक बचत बैंक खाता (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एनी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) संचालित रखें, न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 03 माह में बैंक खाते में ट्रांन्जेक्शन अवश्य करें।
- आधार लिंक बचत बैंक खाते को भली–भांति जांच लें। बिना आधार सीडेड खाता संख्या (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन0पी0सी0आई0 में सीडिंग के साथ) भरने पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा। नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें जिनका आधार एवं ओ0टी0पी0 प्रमाणीकरण एक बार ही चुका है, उसे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- छात्र अपना आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात् एवं फाइनल सबमिट करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा–हाईस्कूल/इण्टरमीडियट का रोल नम्बर, जाति /आय प्रमाण–पत्र का कमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण–पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड एवं खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच कर लें।
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे है तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जॉच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करें।
- आवेदन पत्र सब्मिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण–पत्र क्रमांक, आधार नम्बर तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडियट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त (हाईस्कूल रोल नम्बर को छोड़कर) ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती आवश्य लें।
- आनिवार्य वार्षिक शुल्क (Non Refundable fees) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूणांक तथा वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के पूर्णांक/प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंक एजेंसी द्वारा अपलोड किये गये परीक्षफल से किया जायेगा।
- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यकम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (GOVT.) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (AIDED) संस्थानों में पाठ्यक्रम, पाद्यक्रम के प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित(SELF FINANCE) व उसके वर्ष का अंकन सही–सही ध्यानपूर्वक करें।
- छात्र/छात्रायें स्वयं का ई0–मेल आई0डी0 व आधार नम्बर से लिंग स्वयं का मोबाइल नम्बर ही दें।

Spyada 22/7/22   Smd 22/07/22

21-07-2022 11:5

- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय–सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु https://scholarship.up.gov.in पर समय–समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली–भाँति पालन करें एवं समय–सारिणी में दी गयी समयावधि का उल्लघंन कदापि न करें।
- नवीनीकरण के छात्र अपने आवेदन पत्र में पास (Pass)/प्रोन्नत (Promoted with marks) के साथ अपने सही प्राप्तांक ही भरें। परीक्षा परिणाम न निकलने की दशा में रिजल्ट नाट यट डिक्लेयर्ड (Result Not Yet Declared) के आपशन के साथ आवेदन कर सकते हैं, लेकिन संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि में परीक्षा परिणाम न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा परिणाम भरकर संस्थान से पुनः अग्रसारित न कराने की दशा में छात्र का डाटा रिजेक्ट माना जाएगा।
- छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से सवयं देख सकते है। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/रिजेक्ट करने पर आपके मोबाइल पर एस0एम0एस0 भी भेजा जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि संस्थान द्वारा आपका अपवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अग्रसारित होना आवश्यक है।

2–छात्र क्या न करें:–

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा–हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी सझा (Share) न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुर्तीण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन न करें।
- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय–सारणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटि पूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र/छत्रा द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र/छात्रा का आधार नम्बर, आई–स्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि आपका डाटा संन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से तत्काल जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि सन्देहास्पद डाटा का अभिलेखों सहित उत्तर निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होता है तथा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होती है तो जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (Reject) कर दिया जायेगा।

22/7/22

22/07/22